FORM-D

(As per Rule No. 239A of C.G. Rules and Order (Criminal)

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS PALI, DISTT. KORBA (C.G.) Presiding Officer – Shweta Mishra	
(Date of Judgment : 14/02/2023) (Case No. 633/2022) (FIR/Crime No. 163/2022, Police Station Pali, Distt. Korba (C.G.)	
Complainant	State of Chhattisgarh through Police Station Pali, Distt. Korba (C.G.)
Represented By	Shri Atmaram Yadav (ADPO)
Accused	Rajveer Yadav S/o Ramveer Yadav, Age 19 Year, R/o Madan, Ps Pali, Distt- Korba (C.G.)
Represented by Advocate	Shri-Rajkumar Verma

FORM-E

Date of Offence	15-06-2022
Date of FIR	15-06-2022
Date of Framing of Charge	09-11-2022
Date of Commencement of Evidence	09-11-2022
Date of which Judgment is reserved	14-02-2023
Date of Judgment	14-02-2023
Date of the Sentencing Order, if any	Nil

Sd/-
(Shweta Mishra)
Judicial Magistrate First Class
Pali, Distt. Korba (C.G.)

Accused Detail

Rank of the Accused	Name of the Accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted of convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
01	Rajveer Yadav	07-10-2022	14-02-2023	Sec-457, 380 IPC,	Acquittal	Nil	Nil

FORM-F

S.No.	Description	Page No.
1.	Heading of Judgment	03
2.	Appearance of Advocates	03
3.	Admitted Facts	04
4.	Prosecution Story	04-05
5.	Accused Plea	05
6.	Charge	06
7.	Reasons and findings	06-11
8.	Sentence	11
9.	Period of Detention & Set-Off	12
10.	Disposal of Property	12
11.	Order of Compensation	Nil
12.	Certificate under section 428 Cr.P.C. 37	13-15
13.	Warrant of Commitment on a sentence	Nil
14.	Copy of Judgment	03-12

Sd/-
(Shweta Mishra)
Judicial Magistrate First Class
Pali, Distt. Korba (C.G.)

न्यायालय–: श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक – 633/2022
प्रकरण संस्थित दिनांक–21/10/2022
अपराध क्रमांक–163/2022

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र थाना पाली
जिला–कोरबा (छ0ग0) .... अभियोजन

–::/विरूद्ध/::–

राजवीर यादव पिता रामवीर यादव,
उम्र 19 वर्ष, साकिन–मादन,
थाना पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) .... अभियुक्त

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आत्माराम यादव उपस्थित।
अभियुक्त राजवीर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है,
उसकी ओर से सुश्री रीमा वर्मा अधिवक्ता।

//निर्णय//

{आज दिनांक 14/02/2023 को घोषित}

{01} अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जिसे एतत्समिन पश्चात् भा.द.सं. से संबोधति किया जायेगा) की धारा–457, 380 भा.द.सं. के अन्तर्गत अभियोग है कि उसने दिनांक 15/06/2022 के दरम्यानी रात्रि 03:00 बजे स्थान वार्ड नम्बर 2 पाली अन्तर्गत थाना पाली जिला–कोरबा (छ.ग.) में प्रार्थिया ललिता मरकाम के रिहायशी मकान में पूर्वावधानी बरतते हुए चोरी करने के आशय से उसके मकान अंदर प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रो गृह भेदन कारित किया एवं उसी अनुक्रम में

प्रार्थिया ललिता मरकाम के घर अंदर में अटैची में रखा 2 नग सोने की बाली, 1 नग मोबाईल फोन, 1 नग ईयर फोन, पर्स में रखा नगदी 12–13 हजार रूपये, 1 नग बैग कीमती 30,000/–रूपये को बेईमानी पूर्वक आशय से उसके सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित किया।

{02} प्रकरण में स्वीकृत तथ्य का अभाव है।

{03} अभियोजन का मामला संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थिया ललिता मरकाम ने थाना पाली में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 14/06/2022 को अपने पुत्र के साथ कमरा में सो रही थी रात्रि करीब 03:00 बजे घर में आहट सुनाई देने पर नींद खुलने पर पता चलने पर एक अनजान व्यक्ति उसके घर के पीछे दरवाजा के ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर एक अटैची में रखे कपड़ा को बिखेर कर सोने की बाली एवं टेबल में रखे एक मोबाईल फोन सैमसग कम्पनी का तथा पर्स में रखे नगदी 12–13 सौ रूपये, एक ईयर फोन, एक नग स्कूली बैग को चोरी कर ले गया है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर विवेचक के द्वारा थाना पाली के अपराध क्रमांक 163/2022 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक के द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा अभियुक्त का पृथक मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया। अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन अनुसार गवाहों के समक्ष जप्ती कार्यवाही कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा– 457, 380 भा.दं.

सं. 1860 के तहत् अभियोग पत्र तैयार कर विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

{04} अभियुक्त के द्वारा अपराध करने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार परिलक्षित होने पर उसके विरूद्ध धारा–457, 380 भा.दं.सं. 1860 के तहत आरोप पत्र विरचित कर उसकी अर्न्तवस्तु को पढ़कर, सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण का दावा किया तथा धारा 313 द0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रश्न किये जाने पर झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य देना व्यक्त किया।

{05} प्रकरण में अभियोग पत्र में संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन के पश्चात् निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न बनाये गये हैं :–

(i) क्या अभियुक्त ने दिनांक 15/06/2022 के दरम्यानी रात्रि 03:00 बजे स्थान वार्ड नम्बर 2 पाली अन्तर्गत थाना पाली जिला–कोरबा (छ.ग.) में प्रार्थिया ललिता मरकाम के रिहायशी मकान में पूर्वावधानी बरतते हुए चोरी करने के आशय से उसके मकान अंदर प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रो गृह भेदन कारित किया ?

(ii) क्या अभियुक्त ने उसी अनुक्रम में प्रार्थिया ललिता मरकाम के घर अंदर में अटैची में रखा 2 नग सोने की बाली, 1 नग मोबाईल फोन, 1 नग ईयर फोन, पर्स में रखा नगदी 12–13 हजार रूपये, 1 नग बैग कीमती 30,000/–रूपये को बेईमानी पूर्वक आशय से उसके सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित किया ?

(iii) दोषसिद्धी व दण्डादेश ?

{06} अभियोजन की ओर से अपने पक्ष में महादेव पटेल (अ.सा.क्रं.01), ललिता मरकाम (अ.सा.क्रं.02), परमजीत सिंह (अ.सा.क्रं.03), विवेचक डी.आर. ठाकुर (अ.सा.क्रं.04), कंगलू राम (अ.सा.क्रं.05) एवं रामकुमार (अ.सा.क्रं.06) का परीक्षण कराया गया है तथा बचाव पक्ष के द्वारा अपने समर्थन में कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

–: साक्ष्य विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष :–

–:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष ::–

{07} सुविधा की दृष्टि से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में **प्रार्थी ललिता मरकाम (अ.सा.क्रं.02)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को नहीं जानना पहचानना बताया है। साक्षी का आगे कथन है कि घटना वर्ष 2022 के जून माह के रात्रि 2–2:30 बजे पाली स्थित उसके मकान की है। घटना के समय वे लोग रात्रि में घर में सोये हुए थे रात्रि में 2–3 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के अंदर घुस कर बैग में रखे सोने की बाली जिसका वजन दो से ढाई ग्राम था, टेबल के उपर रखे सैमसॉग का मोबाईल फोन पर्स में रखा 12–13 सौ रूपये, बैग, ईयर फोन एवं दो थाली को चोरी कर ले गया था।

{08} साक्षी का आगे कथन है कि वह आहट सुनकर जब उठी तब चोर पीछे से भाग रहा था, नींद में होने के कारण वह उस आदमी को पहचान नहीं

पायी। उसने घटना के संबंध में पड़ोसी श्यामलाल एंव महादेव पटेल को बताया था। दूसरे दिन सुबह उसने थाना पाली में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1, नजरी नक्शा प्र.पी. 2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का आगे कथन है कि पुलिस वालों ने थाना पाली में चोरी हुए सामान की पहचान कार्यवाही करवाये थे उक्त कार्यवाही में उसने अपने सोने की बाली को देखकर पहचान किया था पहचान कार्यवाही प्र.पी. 3 है।

{09} **महादेव पटेल (अ.सा.कं.01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को नहीं जानना पहचानना बताया है। साक्षी का आगे कथन है कि प्रार्थिया ललिता मरकाम उसकी पड़ोसी है। घटना दिनांक को वह अपने घर में सोया हुआ था। रात लगभग 3–4 बजे ललिता का बेटा परमजीत ने घर आकर उसे बताया था कि उसके घर में अज्ञात व्यक्ति घर के पीछे तरफ से घुसा था और घर में रखे हुए मोबाईल, सोने की कान की बाली, बैग चोरी कर ले गया था। उन्होंने यह भी बताया था कि कमरे का सामान बिखरा हुआ था और ललिता के बेटी का सिंगार का सामान भी चोर चोरी कर ले गया था। उसने और परमजीत ने चोर को आस–पास तलाश किया था पता नही चला तब प्रार्थिया ललिता ने उक्त चोरी की रिपोर्ट थाना पाली में दर्ज करायी थी।

{10} **परमजीत सिंह (अ.सा.कं.03)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को नहीं जानना पहचानना बताया है। साक्षी का आगे कथन है कि घटना दिनांक को वह अपने घर में रात्रि में सो रहा था तभी कोई अज्ञात व्यक्ति 2–3 बजे रात्रि के बीच पीछे के दरवाजा के ताला तोड़कर अंदर घुस गया और

सोने की बाली, टेबल में रखे मोबाईल, ईयर फोन, मेकअप का सामान, थाली, लोटा, स्कूल बैग और कुछ नगद रूपये अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था। साक्षी का आगे कथन है कि उसकी मां ने रात्रि में आवाज लगायी तब वह उठा तब उसकी मां ने उसे बताया कि जब उसकी नींद अचानक से खुली तब चोरी करने वाला व्यक्ति भाग रहा था जिसे उसकी मां नींद में होने से पहचान नहीं पायी। घटना के बाद में उसकी मां ने थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था।

{11} **कंगलू राम (अ.सा.कं.05) एवं रामकुमार (अ.सा.कं.06)** ने अपने–अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को नहीं जानना पहचानना बताते हुए बताया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी राम कुमार ने बताया है कि वह थाना पाली में वाहन चलाने का काम करता है और पुलिस के साथ कार्यवाही में जाता है। उक्त साक्षीगण का आगे कथन है कि मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 पर साक्षीगण के कमशः हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी है। साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

{12} **विवेचक डी.आर.ठाकुर (अ.सा.कं.04)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अपने द्वारा की गयी विवेचना को सिद्ध करते हुए बताया है कि दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थिया ललिता मरकाम के सूचना के आधार पर उसके द्वारा थाना पाली के अपराध कमांक 163/2022 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. का प्रथम सूचना पत्र प्र.पी. 1 दर्ज किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

साक्षी का आगे कथन है कि उसके द्वारा दिनांक 15.06.2022 को ही घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 2 प्रार्थिया के बताये अनुसार तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का आगे कथन है कि थाना पाली के अपराध क्रमांक 296/2022 के विवेचना के दौरान अभियुक्त का दिनांक 07.10.2022 को गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 4 लेखबद्ध किया था जिसके सत्यापित प्रति के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

{13} साक्षी का आगे कथन है कि उसके द्वारा अभियुक्त राजवीर यादव के पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 में वर्णित विवरण अनुसार सम्पत्ति को गवाहों के समक्ष जप्त किया था जिसके सत्यापित प्रति के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा थाना पाली के अपराध क्रमांक 296/2022 में अपराध विवेचना के दौरान अभियुक्त को दिनांक 07.10.2022 को धारा 457, 380 भा.द.सं. के अपराध में गिरफ्तार किया था जिसकी सत्यापित प्रति प्र.पी. 6 इस प्रकरण में संलग्न है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का आगे कथन है कि उसके द्वारा प्रार्थिया से जप्तशुदा सम्पत्ति की पहचान कार्यवाही कराया गया था जिसमें प्रार्थिया के द्वारा 2 नग सोने की बाली को अपना होना बताया था। उक्त पहचान कार्यवाही प्र.पी. 3 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचना एवं अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य उपरांत मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि—क्या अभियुक्त के द्वारा प्रार्थिया ललिता मरकाम के मकान में चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके मकान में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह

भेदन कारित किया एवं उसी अनुक्रम में प्रार्थिया के मकान में रखा 2 नग सोने का बाली, 1 नग मोबाईल फोन, 1 नग ईयर फोन, पर्स में रखा नगदी रकम तथा 1 नग बैग को बेईमानी पूर्वक उसके सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित किया ?

{14} तत्संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रार्थिया ललिता मरकाम (अ.सा.क्रं. 02), महादेव पटेल (अ.सा.क्रं.01), परमजीत सिंह (अ.सा.क्रं.03), कंगलू राम (अ.सा. क्रं.05) एवं रामकुमार (अ.सा.क्रं.06) का साक्ष्य अभिलिखित कराया गया है। उक्त संबंध में प्रार्थिया के द्वारा कथन किया गया है कि जब वह घटना दिनांक को रात्रि में सो रही थी तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में लगा ताला को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर बैग में रखा सोने का बाली, टेबल में रखा मोबाईल फोन, पर्स में रखा नगदी रकम, बैग, ईयर फोन एवं थाली को चोरी कर ले गया था।

{15} साक्षी का यह भी कथन है कि जब उसकी नींद खुली तब उसने चोर को भागते हुए देखा किन्तु उसे पहचान नहीं पायी। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने उक्त घटना की सूचना अपने पड़ोसी तथा थाना पाली में दी थी। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस वालों ने उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 2 तैयार किया था। इसी प्रकार से साक्षी के उक्त कथनों का समर्थन महादेव पटेल (अ.सा.क्रं.01) एवं परमजीत सिंह (अ.सा.क्रं.03) के द्वारा अपने–अपने न्यायालयीन कथन में किया गया है।

{16} इसी प्रकार से उक्त दोनों साक्षियों की कथनों की संपुष्टि सर्वप्रथम विवेचक डी.आर.ठाकुर (अ.सा.क्रं.04) के न्यायालयीन कथन से होती है

जिसमें उसके द्वारा प्रार्थिया के उक्त मौखिक शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज किया जाना बताया गया है। प्रार्थिया एवं विवेचक के कथनों से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को प्रार्थिया के आधिपत्य से उक्त मकान में रखे 2 नग सोने की बाली, 1 नग मोबाईल, 1 नग ईयर फोन, पर्स में रखा नगदी रकम एवं 1 नग बैग की चोरी हुई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पाली में दर्ज किया गया था।

अब न्यायायल के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त चोरीशुदा सम्पत्ति को अभियुक्त के द्वारा चोरी किया गया था ?

{17} इस संबंध में विवेचक डी.आर.ठाकुर (अ.सा.क्रं.04) ने अपने न्यायालय कथन में बताया है कि उसके द्वारा उक्त चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा किसी अन्य प्रकरण के विवेचना के दौरान अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध कर विवरण अनुसार अभियुक्त से सम्पत्ति की जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। विवेचक ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा गवाहों के समक्ष अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 4 लेखबद्ध कर जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 तैयार किया गया था। किन्तु प्रकरण के उक्त मेमोरेण्डम एवं जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण कंगलू राम (अ.सा.क्रं.05) एवं रामकुमार (अ.सा.क्रं.06) के द्वारा विवेचक के द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में लेखबद्ध मेमोरेण्डम कथन तथा उसके अनुक्रम में की गयी जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। उनके द्वारा उक्त सभी दस्तावेजों प्र.पी. 4, 5 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी करना बताया गया है।

{18} इसी प्रकार से प्रार्थिया के द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इसी प्रकार से प्रस्तुत प्रकरण में अपने न्यायालयीन कथन में विवेचक के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने किस आधार पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था तथा जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 में उल्लेखित सम्पत्ति को जप्त किया था। इसी प्रकार से प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि स्वतत्र साक्षी रामकुमार (अ.सा.क्रं.06) के न्यायालय कथन से स्पष्ट है कि वह थाना पाली में वाहन चलाने का काम करता है और पुलिस वालों के साथ कार्यवाही में जाता है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त साक्षी पुलिस के बताये अनुसार उनके द्वारा किये गये कार्यवाही में हस्ताक्षर करता है।

{19} इसी प्रकार से प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति की पहचान कार्यवाही प्रार्थिया से किसी सक्षम कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष कराया जाना भी उल्लेखित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न पहचान पत्र प्र.पी. 3 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवेचक के द्वारा स्वयं थाने में प्रार्थिया को बुलाकर सम्पत्ति की पहचान करायी गयी है। जिसमें पहचानकर्ता के रूप में प्रार्थिया स्वयं ललिता मरकाम के हस्ताक्षर होना दर्शित होता है। इसी प्रकार से विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा की गयी जप्तशुदा सामाग्री की पहचान कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं मानी जा सकती क्योंकि उक्त कार्यवाही में स्वयं विवेचक के द्वारा कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है जोकि साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 9 में वर्णित प्रावधान के विपरित है, जिससे कि विवेचक के द्वारा की

गयी उक्त पहचान कार्यवाही विधि अनुरूप होना दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार से प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा विवेचक के द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है एवं विवेचक साक्षी के विवेचना में भी कई त्रुटियां है। इस प्रकार से प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से एवं विवेचक के द्वारा की गयी विवेचना में कई त्रुटियां होने से प्रकरण में संदेह की स्थिति निर्मित होती है।

{20} यह दण्डविधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को ही अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित एवं सिद्ध करना होता है, केवल संभावना के आधार पर अभियुक्त को अभियोजित अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक के द्वारा जप्तशुदा सम्पत्ति की पहचान कार्यवाही सक्षम कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष नहीं कराना एवं मेमोरेण्डम एवं जप्ती की साक्षियों के द्वारा अपने समक्ष कोई कार्यवाही न होने का कथन करने से प्रकरण में संदेह की स्थिति निर्मित होती है, जिसका लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है।

{21} अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा एवं उसी अनुक्रम में प्रार्थिया ललिता मरकाम के घर अंदर में अटैची में रखा 2 नग सोने की बाली, 1 नग मोबाईल फोन, 1 नग ईयर फोन, पर्स में रखा नगदी 12–13 हजार रूपये, 1 नग बैग कीमती 30,000/–रूपये को बेईमानी पूर्वक आशय से उसके सम्मति के बिना हटाकर चोरी कारित करने का अपराध सिद्ध न होने पर **विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 व 02 का निष्कर्ष ''साबित नहीं''** में दिया जाता है।

–:: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 का सकारण निष्कर्ष ::–

{22} सम्पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत अभियोजन अभियुक्त राजवीर यादव के विरूद्ध अभियोग युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त राजवीर यादव को धारा 457, 380 भा.द.सं. 1860 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए **"दोषमुक्त"** घोषित किया जाता है।

{23} अभियुक्त के जमानत मुचलके एवं बंधपत्र भारमुक्त कर निरस्त किये जाते है।

{24} अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा–428 दंण्ड प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत पृथक से प्रमाण पत्र बनाया जावे, चूंकि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है इसलिए अभियुक्त का रिहाई आदेश इस टीप के साथ जारी किया जावे कि यदि अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

{25} प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 2 नग सोने का बाली मय दस्तावेज पूर्व से सुपुर्दनामे पर है, उसे अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार के पक्ष में भारमुक्त समझा जावे। उक्त आदेश का पालन अपील अवधि पश्चात् किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

{26} अभियुक्त द्वारा धारा–437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पेश बंध पत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,	
दिनांकित कर घोषित किया गया।	**मेरे निर्देश पर टंकित**
सही / –	सही / –
(श्वेता मिश्रा)	**(श्वेता मिश्रा)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,**
पाली, जिला – कोरबा (छ0ग0)	**पाली, जिला –कोरबा (छ0ग0)**

न्यायालय :– श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाली जिला कोरबा (छ.ग.)

निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा– 428 दं0प्र0सं0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 633/2022

1. आरोपी का नाम : राजवीर यादव
2. पिता का नाम : रामवीर यादव, उम्र 19 वर्ष
2. पता : साकिन–मादन, थाना पाली
जिला–कोरबा (छ.ग.)
3. अप0क0/धारा : 163/2022 थाना पाली
धारा 457, 380 भा.द.सं.
4. गिरफ्तारी दिनांक : 07.10.2022
5. पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत अवधि : निरंक
6. न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि : 07.10.2022 से दिनांक 14.02.2023 तक
कुल 131 दिवस
7. सजा में मुजरा की जाने वाली अवधि उपरोक्तानुसार : निरंक

दिनांक ....

सही/–

(श्वेता मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)